



NAAC "B"

PHONE & FAX NO:- 07857-255625 & 255624(O)

कार्यालय प्राचार्य-शासकीय अरविन्द महाविद्यालय किरन्दुल, जिला - दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा(छ.ग.) 494556

E-mail : govtcollegekirandul36@gmail.com

क्र./222/स्था./2024,

किरन्दुल,दिनांक:-07/08/2024

// अंतिम मेरिट सूची जारी हेतु सूचना //

शासकीय अरविन्द महाविद्यालय किरन्दुल के जिला-द.ब. दन्तेवाड़ा (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 30/07/2024 को विषय - प्राणीशास्त्र/वाणिज्य/हिन्दी/क्रीड़ा अधिकारी का अंतिम मेरिट सूची जारी किया गया था। एवं दिनांक 03/08/2024 तक दावा आपत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था। निर्धारित समयावधि तक प्राप्त दावा आपत्ति एवं उनके निराकरण का विवरण इस प्रकार है-

क्र	विषय	अंतिम मेरिट सूची में क्रम	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी द्वारा किए गए दावा-आपत्ति का विवरण	समिति द्वारा किए गए दावा-आपत्ति का निराकरण
1	प्राणीशास्त्र	5	DEBORATA GHOSH	1) श्री भारत बघेल पिता श्री बुधराम बघेल के द्वारा दावा किया गया है कि श्री देवोरथ घोष को 5 सत्र के अनुभव का अंक प्रदान किया जाना था परन्तु समिति के द्वारा 6 सत्र के अनुभव का अंक प्रदान किया गया है। 2) श्री लतकर संतोष के द्वारा भी श्री देवोरथ घोष को 6 सत्र का अनुभव अंक प्रदान करने का दावा आपत्ति किया गया है।	सत्र 2018-19 में संबंधित अभ्यर्थी का 05 माह से कम कार्य दिवस होता है। समिति के द्वारा त्रुटिवश सत्र 2018-19 के अनुभव का अंक प्रदान किया गया था जिसे घटाया जाता है।
2	प्राणीशास्त्र	9	GAYATRI	श्री लतकर संतोष पिता श्री किस्तैया के द्वारा दावा किया गया है कि गायत्री को 5 सत्र का अनुभव अंक दिया गया है जो कि 04 सत्र का होना था।	समिति के द्वारा जाँच करने पर 05 सत्र का अनुभव सही पाया गया है।
3	प्राणीशास्त्र	71	SHRI MANOJ KUMAR PRAJAPATI	अभ्यर्थी द्वारा दावा किया गया है कि अनुभव के 6 सत्र का अनुभव अंक प्रदान नहीं किया गया है।	समिति द्वारा जाँच करने पर त्रुटिवश अनुभव का अंक प्रदान नहीं किया गया था जो कि सुधार कर अंक प्रदान किया गया है।
4	प्राणीशास्त्र	11	ARUN KUMAR	मेरिट अंको के योग में त्रुटिसुधार हेतु दावा किया गया।	मेरिट अंको में त्रुटिसुधार कर 01 अंक जोड़ दिया गया है।
5	हिन्दी	23	AMAR NATH	अभ्यर्थी द्वारा दावा किया गया है कि अनुभव के अंक प्रदान नहीं किया गया है।	समिति के द्वारा जाँच करने पर त्रुटिवश समिति के द्वारा अंक प्रदान नहीं किया गया था। जो कि 02 सत्र के लिए 10 अंक अनुभव के रूप में प्रदान किया जाता है।
6	हिन्दी	12	SHRI RAJU RAM PLANGE	मेरिट सूची में अनुभव पर पूरा अंक नहीं दिया जाने पर दावा आपत्ति	अतिथि व्याख्याता नीति के कडिका क्रमांक 6.4 के तहत केवल शासकीय महाविद्यालय के ही अनुभव अंक प्रदान किए जाएंगे।

7	हिन्दी	3	DR. NIYATI AGRAWAL	1) अभ्यर्थी द्वारा दावा किया गया है कि अतिथि व्याख्याता नीति के मापदण्डों के अनुसार मेरा मेरिट क्रम में प्रथम स्थान होना चाहिए था। 2) शोध पत्र के अंक प्रदान नहीं किया गया है।	1) जाँच समिति के सत्यापन के बाद प्रथम बिन्दु के दावा आपत्ति पर विचार करते हुए त्रुटिसुधार कर लिया गया है। 2)दुसरे बिन्दु के दावा आपत्ति पर UGC care list में जाँच के दौरान आपका पत्रिका नहीं पाया गया।
8	हिन्दी	6	KAMINI DEWANGA N	अभ्यर्थी द्वारा दावा किया गया है कि अतिथि व्याख्याता नीति के तहत मूल निवासियों को प्राथमिकता प्रदान नहीं किया गया है।	अतिथि व्याख्याता नीति कं कंडिका क्रमांक 5.4 के तहत मूल निवासियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। अगर मूल निवासी एवं अन्य राज्य के आवेदक के मेरिट अंक समान होंगे।
9	हिन्दी	5	ANKIT DUBE	1) अभ्यर्थी द्वारा दावा किया गया है कि स्नातकोत्तर के प्रतिशत के अंको में OGPA प्रतिशत फार्मूला का प्रयोग नहीं किया गया है। 2) शोध लेखन पर कोई भी अंक प्रदान नहीं किया गया है।	1) समिति द्वारा जाँच कर प्रतिशत में त्रुटिसुधार कर OGPA प्रतिशत फार्मूला की सहायता से स्नातकोत्तर के अंक प्रदान किया गया है। 2) शोध आलेख के आपके दावे पर UGC care list में जाँच करने पर कोई भी जनरल प्राप्त नहीं हो पाया
10	हिन्दी	20	PUNNI KUMARI RAKESH	अभ्यर्थी द्वारा दावा किया गया है कि अनुभव अंक प्रदान नहीं किया गया है।	दावा आपत्ति के निरीक्षण के पश्चात सत्र 2017-18 का 05 अंक प्रदान किया गया है।
11	क्रीड़ा	8	HEMANT KUMAR YADAV	अभ्यर्थी द्वारा दावा आपत्ति किया गया है कि अनुभव के अंक प्रदान नहीं किये गये है।	अतिथि व्याख्याता नीति के कंडिका क्रमांक 6.4 के तहत केवल शासकीय महाविद्यालय को ही अनुभव अंक प्रदान किए जाएंगे।
12	क्रीड़ा	3	SATYENDR A KUMAR	अभ्यर्थी द्वारा दावा आपत्ति किया गया है कि अनुभव के अंक प्रदान की किये गये है।	जाँच समिति के सत्यापन के बाद दावा आपत्ति पर विचार करते हुए 02 सत्र का अनुभव प्रमाण पत्र का अंक प्रदान किया गया है। सत्र 2023-24 के लिए न्यूनतम 5 माह का कार्य नहीं होने के कारण अनुभव अंक नहीं दिया गया है।
13	क्रीड़ा	2	MEGHRAJ TARAK	अभ्यर्थी द्वारा शोध पत्र दस्तावेज जोड़ने का निवेदन किया गया है।	अनंतिम मेरिट सूची निकलने के बाद कोई भी अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाता है और जो कि अमान्य हैं।

— 54 —
प्र. प्राचार्य
शासकीय अरविन्द महाविद्यालय
किरन्दुल, जिला दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

पृ. क्र./ 223 /स्था0 /2024
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
2. स्था./लेखा शाखा।

किरन्दुल, दिनांक 07/08/2024

— 54 —
प्र. प्राचार्य
शासकीय अरविन्द महाविद्यालय
किरन्दुल, जिला दन्तेवाड़ा (छ.ग.)